राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(4)गृह–1/2019 जयपुर, दिनांक : 24.03.2022

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृखला की वर्ष 2019–20 की नियमिति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.10.2019 के समय श्री मुरारी लाल/रामजीलाल (एसटी) पुलिस निरीक्षक के विरूद्व विभागीय जांच अन्तर्गत नियम 16 सीसीए विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इनकी पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई।

उक्त विभागीय जांच में श्री मुरारी लाल/रामजीलाल को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 31.07.2020 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री मुरारी लाल द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए गृह विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2021 द्वारा उक्त दण्डादेश को अपास्त किया गया है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा उक्त अपीलादेश दिनांक 22.02.2021 युक्तियुक्त नहीं होने के कारण सीसीए नियम 34 के तहत महामहीम राज्यपाल महोदय से पुनर्विलोकन कराने की कार्यवाही हेतु प्रकरण उप सचिव, मा0 राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को भिजवाया गया है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा उक्त अपीलादेश दिनांक 22.02.2021 युक्तियुक्त नहीं होने के कारण सीसीए नियम 34 के तहत महामहीम राज्यपाल महोदय से पुनर्विलोकन कराने की कार्यवाही के दृष्टिगत प्रकरण में कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। कार्मिक विभाग ने यह निर्देशित किया है कि "गृह विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2021 द्वारा श्री मुरारी लाल को दिये गये परिनिन्दा के दण्ड को अपास्त किया जा चुका है एवं मा0 राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत अपील में गृह विभाग के निर्णय पर कोई स्थगन नहीं है। उक्त स्थिति में श्री मुरारी लाल वर्तमान में किसी दोष से ग्रसित नहीं है। अतः श्री मुरारी लाल के प्रकरण में वर्ष 2019–20 की डीपीसी में सील्ड कवर लिफाफे को खोलकर समिति की अनुशंषा अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। अपील में यदि कोई अन्यथा निर्णय होता है, जो कि पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं को लागू करने में बाधक हो तो राज्यपाल महोदय के निर्णय के आधार पर पुनः रिव्यू किया जा सकता है"।

अतः राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2019–20 की दिनांक 10.10.2019 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री मुरारी लाल/रामजीलाल (एसटी), पुलिस निरीक्षक को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2019–20 में दिनांक 01.05.2019 की रिक्ति के प्रति पुलिस मुख्यालय द्वारा महामहीम राज्यपाल महोदय को अन्तर्गत नियम 34 सीसीए में प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका में अंतिम निर्णय के अध्यधीन एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री मुरारी लाल/रामजीलाल, पुलिस निरीक्षक की वरिष्ठता श्री गोपीचन्द मीणा/शंकर लाल मीणा, (एसटी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री मुरारी लाल अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा श्री मुरारी लाल को रिक्ति दिनांक 01.05.2019 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

24/3/22

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Scanned with CamScanner